

संचिका संख्या-09/बि0वि0प0स0-22/2024

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक

विषय : बिहार में निजी विद्यालयों के संबद्धता हेतु दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन।

अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन मुक्ति के पहल के चरण-II के अनुसरण में बिहार में निजी तौर पर प्रबंधित विद्यालयों के लिए नई संबद्धता जारी करने तथा संबद्धता के नवीनीकरण हेतु दिशानिर्देशों, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति '(उच्च माध्यमिक) संबद्धता विनियमावली, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा अधिसूचित है, में आंशिक संशोधन तथा पूर्व में निर्गत बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-BSEB(SS)/Coll-Estab/688/D/2026 दिनांक 07.06.2026 को निरस्त करते हुए ऐतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

अनुशंसा-1

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित विद्यालयों की मान्यता, मान्यता के उन्नयन या मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार विभाग अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को समाप्त करता है और इसके स्थान पर संबंधित विद्यालयों द्वारा स्व-प्रमाणन को अनिवार्य किया जाता है।

अनुशंसा-2

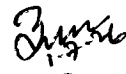
निजी विद्यालय की संबद्धता के लिए संबंधित सोसाईटी/ट्रस्ट को पहले 9 (नौ) दस्तावेज जमा करने होते थे, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा, भूमि दस्तावेज/पट्टा विलेख, सोसाईटी/ट्रस्ट विलेख, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची, अग्नि सुरक्षा, कम्प्यूटर बिल, पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची, प्रयोगशाला उपकरणों का विवरण एवं कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला और खेल मैदान समेत परिसर की 25 मिनट की विडियोग्राफी शामिल थे।

अब किसी निजी विद्यालय की संबद्धता के लिए संबंधित सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा केवल 2 (दो) अनिवार्य दस्तावेज यथा सोसाईटी/ट्रस्ट पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की जाएगी।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से निर्गत की गई है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ह0/-
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-22/2024 386 पटना, दिनांक 01/07/2026
प्रतिलिपि : निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एवं सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव।

File No. 09/B.S.E.B.-22/2024.....

**Government of Bihar
Department of Education**

NOTIFICATION

Patna, Date

Subject: Partial modification of guidelines for affiliation for Privately Managed Schools in Bihar.

In pursuance of the Compliance Reduction and Deregulation Phase-II initiative, and in partial modification of the guidelines for issuance of fresh affiliation and renewal of affiliation for Privately Managed Schools in Bihar, as notified Bihar School Examination Board (High Secondary) Affiliation Regulations, 2011 (as amended from time-to-time) and in supersession of the earlier Bihar Government Notification No. BSEB (SS)/CoII-Estab/688/D/2026 dated 07-06-2026, The following amendments are hereby made:

Recom-1

*“As per the provisions of the Right to Education Act, 2009, there is no requirement for an **Essentiality Certificate** while submitting applications for recognition, up-gradation of recognition, or renewal of recognition of Privately Managed Schools. Accordingly, the Department hereby **dispenses with the requirement of the Essentiality Certificate and it is replaced with Self Certification by the concerned Schools.***

Recom-2

For Affiliation of a private school, the concerned Society/Trust earlier had to submit 9 (Nine) documents, namely, Recommendation from Three Men committee headed by District Education Officer, Land Document/Lease Deed, Society/Trust Deed, Teachers and Non teaching staff List, Fire safety, Computer Bill, Library Books list, Laboratory equipments

details, 25 Minutes videography of entire premises including computer rooms, Laboratory & Playground.

Now, for affiliation of a private school, only 2 (two) mandatory documents namely, Society/Trust registration certificate and Teachers and Non teaching staff List shall be submitted by the concerned Society/Trust."

This Notification is issued with the approval of the competent authority and shall come into force **with immediate effect**.

Sd/-
(Ajay Satish Bhengra)
Deputy Secretary
Education Department
Govt. of Bihar.

Memo No.- 09/B.S.E.B.-22/2024-986

Patna, dated.....01/07/2026

Copy forwarded to Director, Industry Department (Micro, Small and Medium Industry Directorate)/ Director, Secondary Education/ Secretary, Bihar School Examination Board, Patna/ Director (Academic), Bihar School Examination Board, Patna and P.S to Secretary, Education Department, Bihar, Patna for information and necessary action.


Deputy Secretary.